जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनाँक 15.01.2025**

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 02 अभियुक्त गिरफ्तार

•थाना बखिरा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5998 द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 5998 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत सेमरौना से कालर द्वारा दो बाईक के आपस में टक्कर होने के कारण घायल 01 व्यक्ति (1. आर्यन पुत्र राज बिहारी ग्राम सेमरी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया गया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सीएचसी नाथनगर भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायलों को ईलाज हेतु सीएचसी नाथनगर भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- आ0 पंकज यादव, हो0चा0 मेजर यादव।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 49 वाहनों से 51,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 15.01.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 49 वाहनों से 51,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गौ हत्या के मामले में वांछित 03 अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल, 01 अदद बोगदा, 02 अदद चाकू व 01 अदद लकड़ी का ठेहा के साथ किया गया गिरफ्तार

दिनांक 10.01.2025 को वादी द्वारा थाना धर्मसिंहवा पर ग्राम सभा परसाशुक्ल अन्तर्गत एक खेत में पीपल के पेड़ के पास स्थित कुएं में एक छत विक्षत पशु का शव मिलनें जिसको देखने से गाय प्रजाति का शव प्रतीत होने व शव का कुछ भाग गाँव के दक्षिण व रशुलपुर उत्तर नहर पुलिया के नीचे मिलने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था , उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना धर्मसिंहवा पर मु0अ0सं0 02/2025 धारा 3/5/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सत्यजीत गुप्ता द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल श्री केशवनाथ के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष धर्मसिंहवा श्रीमती पूनम मौर्या के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा थाना धर्मसिंहवा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 02/2025 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम में वांछित अभियुक्तगण नाम पता 1. शहजाद पुत्र हद्दीश निवासी परसवनिया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर 2. मो0 जमा पुत्र मो0 मोबीन निवासी लेडुआ महुआ थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर 3. ग्याशुद्दीन बंजारा पुत्र बहादुर बंजारा निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को दिनाँक 14.01.2025 की रात्रि में सोहसा नहर पुलिया से गिरफ्तार कर नियमानुसार माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना धर्मसिंहवा पर मु0अ0सं0 04/2025 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, मु0अ0सं0 05/2025 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, मु0अ0सं0 06/2025 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. शहजाद पुत्र हद्दीश निवासी परसवनिया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।
2. मो0 जमा पुत्र मो0 मोबीन निवासी लेडुआ महुआ थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।
3. ग्याशुद्दीन बंजारा पुत्र बहादुर बंजारा निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी का विवरणः-

1. 01 अदद मोटर साईकिल।
2. 01 अदद बोगदा।
3. 02 अदद चाकू ।
4. 01 अदद लकड़ी का ठेहा।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री सुरेश यादव, उ0नि0 श्री परवेज अहमद, हे0का0 धर्मनाथ यादव, का0 अनिल कुमार, का0 धर्मवीर पासवान।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 01 स्थान पर लगवाये गये 04 सीसीटीवी कैमरे

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे आपरेशन त्रिनेत्र हर घर कैमरा अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सत्यजीत गुप्ता के निर्देशन में आज दिनांक 15.01.2025 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 01 स्थान पर 04 सीसीटीवी कैमरे लगवाये गये। थाना महुली पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 04 कैमरा लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरुर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दुष्कर्म के मामले 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास व 11000 रु0 के अर्थदण्ड व एससी/एसटी एक्ट के मामले 01 अभियुक्त को 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर श्री सत्यजीत गुप्ता के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 15.01.2025 को न्यायालय – विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 130/2022 धारा 376/504/506 भादवि, 5/6 पाक्सो एक्ट व 3(2)V, 3(2)Va, 3(1)ध एससीएसटी एक्ट के मामलें में अभियुक्त नाम पता 1- सूरज विश्वकर्मा पुत्र रामसागर 2- रामसागर उर्फ सागर पुत्र परमारथ विश्वकर्मा निवासी रेवड़ा विजयपुर थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर आदेश दिया गया कि अभि0 सूरज विश्वकर्मा को धारा 376/506 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट के तहत दोषसिद्ध किया जाता है। परन्तु धारा 504 भादवि व 3(2)V, 3(2)Va, 3(1)ध एससीएसटी एक्ट के तहत दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त सूरज विश्वकर्मा को 5/6 पाक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास व 10000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष का साधारण कारावास से भुगतना होगा व धारा 506 भादवि के तहत 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। अभि0 2- रामसागर उर्फ सागर को धारा 3(1)ध एससीएसटी एक्ट के तहत दोषसिद्ध किया जाता है। परन्तु धारा 504 भादवि मे दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त रामसागर उर्फ सागर को धारा 3(1)ध एससीएसटी एक्ट के 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियुक्तगणो की सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। अभिरक्षा में व्यतीत की गयी अवधि इस मामले के कारावास की अवधि से मुजरा किया जायेगा। पीड़िता को 12000रु0 बतौर क्षतिपूर्ति प्रदान की जायेगी।